शिक्षु अधिनियम, 1961 के महत्वपूर्ण परिचालन प्रावधान (IOP) और शिक्षुता नियम 1992 समय-समय पर संशोधित इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में ताजा डिग्री और डिप्लोमा के व्यावहारिक प्रशिक्षण से संबंधित हैं और स्नातक या बीए, बी.एससी, बी.कॉम जैसी सामान्य धाराओं में समकक्ष हैं।

अपरेंटिस अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार और शिक्षुता नियम 1992 समय-समय पर यथासंशोधित, यह प्रत्येक नियोक्ता (राज्य और केंद्र सरकार के विभागों / उपक्रमों / स्वायत्त संगठनों और निजी संगठनों, आदि) की ओर से वैधानिक दायित्व है कि वह इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में नए सिरे से डिग्री और डिप्लोमा और सामान्य धाराओं में स्नातक की एक निर्धारित संख्या को संलग्न करे। बी.ए., बी.एससी., बी. कॉम या अधिनियम के तहत स्नातक और तकनीशियन अपरेंटिस के रूप में किसी भी नामित या वैकल्पिक विषय क्षेत्र में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान द्वारा दी गई समकक्ष योग्यता। अधिनियम के तहत राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

1. <u>न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं</u>:

ए) ग्रेजुएट अपरेंटिस:

i. वैधानिक विश्वविद्यालय द्वारा दी गई इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिग्री।

ii. संसद के एक अधिनियम द्वारा ऐसी डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत संस्थान द्वारा दी गई इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिग्री।

iii. डिग्री के समकक्ष केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पेशेवर निकायों की स्नातक परीक्षा।

iv. एक सैंडविच कोर्स का छात्र जो प्रशिक्षण ले रहा है ताकि वह उपरोक्त (ii) और iii) में उल्लिखित इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिग्री प्राप्त कर सके।

v. स्नातक या सामान्य धाराओं जैसे बीए, बी.एससी, बी. कॉम में समकक्ष।

बी) तकनीशियन प्रशिक्षु:

i. राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य परिषद या तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।

ii. एक विश्वविद्यालय द्वारा इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।

iii. राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा दी गई इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। या केंद्र सरकार। ऊपर (ए) और (बी) के बराबर।

iv. एक सैंडविच कोर्स का छात्र जो ऊपर (i), (ii), (iii) में उल्लिखित डिप्लोमा रखने के लिए प्रशिक्षण ले रहा है।

2. <u>पात्रता की शर्तें:</u>

एक व्यक्ति स्नातक/तकनीशियन अपरेंटिस के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा यदि वह पैरा नंबर 1 में परिभाषित न्यूनतम शैक्षिक योग्यताओं में से एक को पूरा करता है, बशर्ते कि:

ए) शिक्षुता प्रशिक्षण के इच्छुक उम्मीदवारों को योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद तीन साल के भीतर एनएटीएस पोर्टल में अपना नामांकन कराना होगा।

बी) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिग्री और डिप्लोमा और सामान्य धाराओं जैसे बी.ए., बी.एससी, बी. कॉम में स्नातक या समकक्ष। पैरा में उल्लिखित योग्यता। नंबर 1 (ए) और 1 (बी) में इनमें से किसी भी योग्यता की प्राप्ति के बाद एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए प्रशिक्षण या नौकरी का अनुभव अधिनियम के तहत एक प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा।

सी) कोई भी सैंडविच कोर्स छात्र तकनीकी संस्थान की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अधिनियम के तहत प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा, जहां ऐसे छात्र पाठ्यक्रम से गुजर रहे हैं, जब तक कि क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षुता सलाहकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

डी) एक व्यक्ति जो अधिनियम के तहत एक स्नातक / तकनीशियन शिक्षु रहा है और जिसके मामले में शिक्षुता का अनुबंध किसी भी कारण से समाप्त कर दिया गया था, अधिनियम के तहत एक बार फिर से प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा। शिक्षुता सलाहकार।

एक व्यक्ति किसी भी नामित / वैकल्पिक विषय क्षेत्र में शिक्षुता प्रशिक्षण लेने के लिए एक शिक्षु के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं होगा जब तक कि वह

(ए) 18 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है; और

(बी) अधिनियम के तहत निर्धारित शैक्षिक और शारीरिक फिटनेस के ऐसे मानकों को पूरा करता है।

3. <u>विषय क्षेत्र</u>

अधिनियम के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण की सुविधा नामित और वैकल्पिक दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध है।

नामित विषय क्षेत्र: केंद्रीय शिक्षुता परिषद (CAC) द्वारा अनुमोदित विषय क्षेत्रों को नामित विषय क्षेत्र कहा जाता है। सीएसी द्वारा अनुमोदित इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में निर्दिष्ट विषय क्षेत्रों की सूची www.bopter.gov.in पर उपलब्ध है

वैकल्पिक विषय क्षेत्र: कोई भी विषय क्षेत्र जो इंजीनियरिंग या गैर-इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में नामित विषय क्षेत्रों में शामिल नहीं है, जैसा कि अधिनियम के तहत प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के उद्देश्य से नियोक्ता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

4. <u>शिक्षुओं का चयन</u>

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए न्यूनतम मानक शैक्षिक योग्यता और चिकित्सा फिटनेस को पूरा करने वाले उम्मीदवारों से प्रशिक्षुओं का चयन करना नियोक्ताओं की जिम्मेदारी है। हालाँकि, नियोक्ता द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार अपरेंटिस के चयन के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं।

ए) एफ़टीपी के माध्यम से पैनल बनाकर एनएटीएस पोर्टल के माध्यम से।

बी) प्रेस विज्ञापन के माध्यम से

सी) जॉब फेयर में भाग लेने/प्रशिक्षुओं के केंद्रीकृत चयन के माध्यम से।

डी) स्थापना के आसपास के क्षेत्रों में स्थित संस्थानों से इच्छुक उम्मीदवारों की सूची मांगना।

इ) आंतरिक विभागों या उच्च शिक्षा निदेशालय या तकनीकी शिक्षा निदेशालय से नोटिस के माध्यम से सीधे आवेदन मांगना।

एफ) अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांगना।

जी) उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करके उनकी पसंद का कोई भी तरीका।

टिप्पणी: प्रशिक्षुओं की नियुक्ति स्थापना की प्रमुख जिम्मेदारी है। वे अपनी पसंद के अनुसार अपरेंटिस के चयन के लिए कोई भी उपयुक्त तरीका अपना सकते हैं।

5. <u>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण स्थलों का आरक्षण:</u>

क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षण स्थलों का आरक्षण नीचे दिए गए अनुपात के अनुसार किया जाना चाहिए:

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**अनुसूचित जाति के शिक्षुओं का कुल शिक्षुओं से अनुपात**	**कुल प्रशिक्षुओं में एसटी शिक्षुओं का अनुपात**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	------	1:13
2	अरुणाचल प्रदेश	------	1:2
3	असम	1:15	1:9
4	बिहार	1:7	1:100
5	झारखंड	1:9	1:4
6	मणिपुर	1:33	1:3
7	मेघालय	------	1:2
8	मिजोरम	------	1:2
9	नगालैंड	------	1:2
10	ओडिशा	1:7	1:4
11	सिक्किम	1:20	1:5
12	त्रिपुरा	1:6	1:3
13	पश्चिम बंगाल	1:5	1:20

जब अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों की निर्धारित संख्या उपलब्ध नहीं है, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित प्रशिक्षण स्थान अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा भरे जा सकते हैं या, के रूप में मामला हो सकता है, अनुसूचित जातियों के लिए और यदि निर्धारित प्रशिक्षण स्थानों को उपरोक्त तरीके से भी नहीं भरा जा सकता है, तो ऐसे खाली पड़े प्रशिक्षण स्थानों को ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरा जा सकता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं।

बी) संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पालन किए गए निर्धारित मानदंडों के अनुसार निर्दिष्ट विषय क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रशिक्षण स्थान नियोक्ता द्वारा आरक्षित किया जाएगा और यदि प्रशिक्षण स्थान अन्य

पिछड़ा वर्ग से नहीं भरा जा सकता है, तो ऐसे खाली पड़े प्रशिक्षण स्थानों को ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरा जा सकता है जो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित नहीं हैं।

6. <u>अप्रेंटिसशिप के अनुबंध का पंजीकरण</u>

अप्रेंटिसशिप का अनुबंध नियोक्ता द्वारा एनएटीएस पोर्टल (www.mhrdnats.gov.in) के माध्यम से प्रत्येक उम्मीदवार के सभी प्रमाण-पत्रों को सत्यापित करने के बाद, प्रत्येक वर्ष, एक अपरेंटिस के प्रशिक्षण के प्रारंभ होने की तिथि से निर्धारित समय के भीतर बनाया जाना है, अधिनियम के अनुपालन में।

एनएटीएस पोर्टल के माध्यम से शिक्षुता के अनुबंध के पंजीकरण की प्रक्रिया में, बीओपीटी (ईआर) कोलकाता अधिनियम के तहत उल्लिखित प्रावधानों की पूर्ति के अधीन नियोक्ता और प्रशिक्षु द्वारा प्रदान किए गए विवरणों को सत्यापित करेगा। शिक्षुता के अनुबंध के अनुमोदन पर प्रत्येक शिक्षु के लिए एक पंजीकरण संख्या उत्पन्न की जाएगी। प्रत्येक शिक्षु के संबंध में भविष्य के सभी संदर्भों में नियोक्ता द्वारा पंजीकरण संख्या का उपयोग किया जाएगा।

टिप्पणी: NATS पोर्टल के माध्यम से गैर-इंजीनियरिंग अपरेंटिस की शिक्षुता का अनुबंध अविकसित है, तब तक नियोक्ता को क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षुता सलाहकार को निर्दिष्ट प्रारूप में अनुबंध भेजना चाहिए, व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र, ब्लॉक: ईए, सेक्टर-1, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700064, शिक्षुओं का प्रशिक्षण शुरू होने के तुरंत बाद पंजीकरण के लिए।

<u>शिक्षुता के अनुबंध में खंड</u>

धारा 22(1): नियोक्ता की ओर से यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह अपनी स्थापना में शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि पूरी होने पर प्रशिक्षु को कोई रोजगार प्रदान करे और न ही उक्त धारा के तहत नियोक्ता के तहत रोजगार स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षु की ओर से यह अनिवार्य होगा। अधिनियम का।

धारा 22(2): शिक्षुता के अनुबंध में यह एक शर्त है कि शिक्षु, प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद नियोक्ता की सेवा करें, इस तरह के पूरा होने पर प्रशिक्षु को उपयुक्त रोजगार देने के लिए बाध्य होगा और प्रशिक्षु उस अवधि के लिए और अनुबंध में निर्दिष्ट पारिश्रमिक के लिए उस क्षमता में नियोक्ता की सेवा करने के लिए बाध्य होगा, अधिनियम की कथित धारा के तहत क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षुता सलाहकार के अनुमोदन के अधीन।

7. <u>प्रशिक्षण और मूल्यांकन के दौरान कौशल विकास</u>

ए) नियोक्ता प्रत्येक तिमाही के लिए स्थापना में लगे स्नातक/तकनीशियन अप्रेंटिस द्वारा किए गए कार्य और किए गए अध्ययन के रिकॉर्ड का रखरखाव सुनिश्चित करेगा।

बी) शिक्षु दैनिक आधार पर अपने शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि के दौरान किए गए कार्य का रिकॉर्ड भी बनाए रखेगा।

सी) प्रत्येक नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षुता सलाहकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार शिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। समय-समय पर बनाया गया

डी) नियोक्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रत्येक तिमाही में प्रशिक्षुओं में अपेक्षित कौशल विकास हो।

इ) प्रत्येक नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि कौशल विकास का मूल्यांकन केंद्र सरकार द्वारा तैयार आवृत्ति के अनुसार किया जाता है।

एफ) मूल्यांकन के लिए मॉडल क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षुता सलाहकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

जी) प्रत्येक शिक्षु के संबंध में प्रगति का रिकॉर्ड प्रत्येक नियोक्ता द्वारा त्रैमासिक आधार पर NATS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।

8. <u>प्रशिक्षण की अवधि:</u>

क्र.सं.	**वर्ग**	**प्रशिक्षण की अवधि**
1	गैर-इंजीनियरिंग में स्नातक या सामान्य स्ट्रीम जैसे बीए, बी.एससी, बी.कॉम में समकक्ष।	न्यूनतम: 06 (छह) महीने अधिकतम: 36 (छत्तीस) महीने
2	इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक	01 (एक) वर्ष
3	इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	01 (एक) वर्ष
4	सैंडविच कोर्स के छात्र	उनके अध्ययन के पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में व्यावहारिक प्रशिक्षण की अवधि शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि होगी।

9. <u>नियोक्ताओं के दायित्व</u>:

इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक नियोक्ता का शिक्षु के संबंध में निम्नलिखित दायित्व होगा, अर्थात्:

ए) अपने प्रशिक्षण के स्थान पर ईमानदारी और लगन से इंजीनियरिंग या गैर-इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में अपने विषय क्षेत्र को सीखने के लिए।

बी) व्यावहारिक और अनुदेशात्मक कक्षाओं में नियमित रूप से भाग लेने के लिए।

सी) स्थापना में अपने नियोक्ता और वरिष्ठों के सभी वैध आदेशों को पूरा करने के लिए।

डी) शिक्षुता के अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए जिसमें उसके काम के ऐसे रिकॉर्ड का रखरखाव शामिल होगा जो निर्धारित किया जा सकता है।

प्रारूप- 2

कार्य डायरी का प्रोफार्मा

स्थापना का नाम और पता :
प्रशिक्षु का नाम :
व्यापार :
पंजीकरण संख्या :

क्र.सं.	दिनांक (सप्ताह)		सप्ताह के दौरान शामिल दक्षताओं	पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
	से	को		

टिप्पणी: व्यापार के दौरान निर्धारित दक्षताओं की सूची दर्शाई जाएगी ।

कार्य डायरी को प्रशिक्षु द्वारा बनाए रखा जाएगा और सप्ताह में एक बार उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

ई) शिक्षुता के अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए जिसमें उसके काम के ऐसे रिकॉर्ड का रखरखाव शामिल होगा जो निर्धारित किया जा सकता है।

11. <u>शिक्षुओं को भुगतान</u>:

शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि के दौरान नियोक्ता प्रत्येक शिक्षु को उनके बैंक खाते के माध्यम से वृत्तिका का भुगतान करेगा, वृत्तिका की ऐसी राशि निर्धारित न्यूनतम दर से कम नहीं होगी। हालांकि, प्रतिष्ठान उच्चतर वृत्तिका दर, या शिक्षुता के अनुबंध में निर्दिष्ट के अनुसार, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के लिए स्वतंत्र हैं, और इस प्रकार निर्दिष्ट वृत्तिका का भुगतान ऐसे अंतरालों पर और ऐसी शर्तों के अधीन किया जाएगा जो निर्धारित की जा सकती हैं।

स्नातक और तकनीशियन अपरेंटिस को देय वजीफे की न्यूनतम दरें निम्नानुसार हैं: (01 अप्रैल 2021 से प्रभावी)

ए)	स्नातक अपरेंटिस (इंजीनियरिंग / गैर-इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी)	:	₹ 9,000
बी)	तकनीशियन अपरेंटिस (इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी)	:	₹ 8,000
सी)	ग्रेजुएट सैंडविच अपरेंटिस (डिग्री इंजीनियरिंग संस्थानों के छात्र)	:	₹ 8,000
डी)	तकनीशियन सैंडविच अपरेंटिस (डिप्लोमा इंजीनियरिंग संस्थानों के छात्र)	:	₹ 7,000

टिप्पणी: गैर-इंजीनियरिंग श्रेणी में NATS के माध्यम से अपरेंटिस की नियुक्ति के खिलाफ प्रतिपूर्ति 20 दिसंबर 2021 से अधिकतम 12 (बारह) महीने की अवधि के लिए प्रभावी की जाएगी।

ए) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियोक्ता द्वारा किसी माह विशेष के लिए वृत्तिका का भुगतान अगले माह की 10 तारीख तक किया जाना है। एक शिक्षु को वृत्तिका के भुगतान की निरंतरता शिक्षु के कार्य और आचरण के संतोषजनक होने के अधीन होगी।

बी) जहां शिक्षु का कार्य और आचरण संतोषजनक नहीं है, नियोक्ता शिक्षुता सलाहकार को मामले की रिपोर्ट करेगा और उसकी सहमति से शिक्षु को वजीफे के भुगतान को जारी रखना बंद कर सकता है।

सी) हालांकि नियोक्ता इन न्यूनतम दरों से अधिक वजीफे का भुगतान करने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसा कि नीचे निर्धारित किया गया है13.1 ऊपर। हालांकि, उपरोक्त 13.1 के तहत निर्दिष्ट अनुसार केंद्र सरकार से प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति की न्यूनतम दर के 50% तक सीमित होगी।

12. <u>प्रतिपूर्ति के लिए दावा करने की प्रक्रिया</u>

दावे को बकाया के रूप में तिमाही आधार पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए अर्थात, अधिनियम के तहत नियुक्त प्रशिक्षुओं को पहली बार में नियोक्ताओं द्वारा वृत्तिका की पूरी राशि का भुगतान किया जाना है और दावों को बाद में तिमाही आधार पर उठाया जाता है।

ए) दावों को ऑनलाइन जनरेट किया जाना चाहिए और बीओपीटी-ईआर, कोलकाता को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, NATS पोर्टल के माध्यम से जनरेट किए गए बिल की मुद्रित प्रतियों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा दिनांक और मुहर के साथ विधिवत हस्ताक्षर करने के बाद।

बी) प्रतिपूर्ति के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड को दावा बिल अग्रेषित करते समय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एनईएफटी के माध्यम से प्रतिपूर्ति प्रभावी करने के लिए बैंक द्वारा अधिकृत ईसीएस जनादेश फॉर्म (केवल एक बार) भरा गया है।

सी) किसी भी मामले में, दावा बिलों की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी, यदि शिक्षु के शिक्षुता प्रशिक्षण के पूरा होने के दो (02) वर्ष बाद जमा किया जाता है।

13. <u>प्रवीणता प्रमाणपत्र जारी करना (सीओपी)</u>:

हर स्नातक और तकनीशियन अपरेंटिस, जो संबंधित क्षेत्रीय बोर्ड की संतुष्टि के लिए अपना शिक्षुता प्रशिक्षण पूरा करता है, उसे केंद्र सरकार की ओर से उस बोर्ड द्वारा "प्रवीणता का प्रमाण पत्र" प्रदान किया जाएगा।

उपरोक्त उद्देश्य के लिए, हर प्रशिक्षु, जिसने शिक्षुता प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, वह इस शर्त के अधीन प्रवीणता का प्रमाण पत्र ऑनलाइन/ऑफलाइन डाउनलोड/प्राप्त करने का हकदार होगा कि उसका अंतिम तिमाही मूल्यांकन पूरा हो गया है और नियोक्ता द्वारा अपलोड/अग्रेषित किया गया है। हालाँकि, नियोक्ता अपने स्वयं के प्रशिक्षुओं को एक प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।

14. <u>प्रशिक्षुओं का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण</u>:

जहां कोई शिक्षु किसी कारखाने में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो, कारखाना अधिनियम, 1948 के अध्याय III, IV और V के प्रावधान, प्रशिक्षुओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के संबंध में लागू होंगे जैसे कि वे उस अधिनियम के अर्थ के भीतर श्रमिक थे और जब कोई शिक्षु किसी खान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों, तो खान अधिनियम, 1952 के अध्याय V के प्रावधान, प्रशिक्षुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में लागू होंगे जैसे कि वे खदान में कार्यरत व्यक्ति हों।

15. <u>काम के घंटे, ओवरटाइम, छुट्टी और छुट्टियाँ</u>:

ए) कार्यस्थल में व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान एक शिक्षु के काम के साप्ताहिक और दैनिक घंटे नियोक्ता द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार प्रशिक्षण अवधि के अनुपालन के अधीन होंगे, यदि निर्धारित हो

बी) शिक्षुता सलाहकार के अनुमोदन के बिना किसी शिक्षु को ओवरटाइम काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी जाएगी, जो इस तरह की स्वीकृति नहीं देगा जब तक कि वह इस बात से संतुष्ट न हो कि ऐसा ओवरटाइम शिक्षु के प्रशिक्षण के हित में या सार्वजनिक हित में है।

सी) एक शिक्षु ऐसे अवकाश और छुट्टियों का हकदार होगा जो उस प्रतिष्ठान में मनाया जाता है जिसमें वह प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है।

16. <u>चोट के लिए मुआवजे के लिए नियोक्ता का दायित्व</u>:

यदि एक प्रशिक्षु को व्यक्तिगत चोट लगती है, एक शिक्षु के रूप में उसके प्रशिक्षण के दौरान और उसके दौरान हुई दुर्घटना से, उसका नियोक्ता मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो निर्धारित और भुगतान किया जाएगा, जहाँ तक हो सकता है, श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अनुसार, अनुसूची में निर्दिष्ट संशोधनों के अधीन।

17. <u>आचरण और अनुशासन</u>:

आचरण और अनुशासन के सभी मामलों में, शिक्षु उस प्रतिष्ठान में संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू नियमों और विनियमों द्वारा शासित होगा जिसमें शिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है।

18. <u>शिक्षुता के अनुबंध की समयपूर्व समाप्ति</u>:

ए) यदि अनुबंध के नियमों और शर्तों को पूरा करने में नियोक्ता की ओर से विफलता के कारण शिक्षुता का अनुबंध समाप्त हो जाता है, तो वह शिक्षु को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, उसके तीन महीने के अंतिम आहरित वजीफे के बराबर राशि का मुआवजा, और जब उक्त समाप्ति उपरोक्त तरीके से एक शिक्षु की ओर से विफलता के कारण होती है, तो उसके तीन महीने के अंतिम आहरित वजीफे के बराबर राशि की प्रशिक्षण लागत ऐसे शिक्षु से वसूली योग्य बनाई जाएगी।

बी) हालांकि, शिक्षुता का अनुबंध मुआवजे के भुगतान के बिना समाप्त किया जा सकता है।

i) बशर्ते दोनों पक्ष अनुबंध की पहले समाप्ति के लिए सहमत हों।

ii) बशर्ते प्रशिक्षुओं को नियमित रोजगार मिले, और

iii) बशर्ते शिक्षु चिकित्सा आधार पर शिक्षुता छोड़ दे। हालांकि, एक चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

19. <u>तालाबंदी/हड़ताल आदि के कारण प्रशिक्षण की हानि का नियमितीकरण।</u>

ए. जहां स्नातक/तकनीशियन अपरेंटिस किसी प्रतिष्ठान में हड़ताल/तालाबंदी/ले-ऑफ के कारण शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि को पूरा करने में असमर्थ है, जहां वह प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है और इसमें सहायक नहीं है, उसके शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि हड़ताल/तालाबंदी/ले-ऑफ़ की अवधि के बराबर बढ़ाई जाएगी और उसे ऐसी हड़ताल/तालाबंदी/ले-ऑफ़ की अवधि के दौरान या अधिकतम छह की अवधि के लिए वृत्तिका का भुगतान किया जाएगा। मास, जो भी कम हो।

बी.यदि हड़ताल/तालाबंदी/कामबंदी के लंबे समय तक जारी रहने की संभावना है, नियोक्ता अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट अन्य नियोक्ता के साथ ऊपर 21 (ए) में संदर्भित प्रशिक्षुओं के लिए शिक्षुता के अनुबंध के नवीनीकरण के लिए प्रक्रिया का पालन करेगा।

20. <u>अप्रेंटिस ट्रेनी हैं वर्कर नहीं</u>:

किसी प्रतिष्ठान में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला प्रत्येक शिक्षु एक प्रशिक्षु होगा और श्रम के संबंध में कानून का कोई भी प्रावधान ऐसे शिक्षु पर या उसके संबंध में लागू नहीं होगा।

21. <u>अपराध और दंड</u>

ए) **धारा 30 उप-धारा (1)** यदि कोई नियोक्ता प्रशिक्षुओं की संख्या से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जिसे उन प्रावधानों के तहत संलग्न करने की आवश्यकता है, उसे लिखित रूप में एक महीने का नोटिस दिया जाएगा, उपयुक्त सरकार द्वारा इस संबंध में विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे उल्लंघन के कारणों को स्पष्ट करने के लिए।

बी) **धारा 30 उप-धारा (1A)** यदि नियोक्ता उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर नोटिस का उत्तर देने में विफल रहता है, या अधिकृत अधिकारी, उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद, नियोक्ता द्वारा दिए गए कारणों से संतुष्ट नहीं है, वह पहले तीन महीनों के लिए शिक्षुता माह में प्रति माह पांच सौ रुपये की कमी और उसके बाद इतनी संख्या में सीटें भरने तक एक हजार रुपये प्रति माह के जुर्माने से दंडनीय होगा।

सी) **<u>धारा 30 उप-धारा (2)</u>**

यदि कोई नियोक्ता या कोई अन्य व्यक्ति

i. किसी भी जानकारी या वापसी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है

ii. इस तरह की जानकारी या रिटर्न देने से मना करता है या उपेक्षा करता है, या

iii. ऐसी कोई जानकारी या विवरणी प्रस्तुत करता है या करवाता है जो गलत है और जिसे वह या तो जानता है या विश्वास करता है कि वह गलत है या जिसके सच होने में उसे विश्वास नहीं है, या

iv. जवाब देने से इंकार, या उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आवश्यक किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर देता है, या

v. वहन करने से मना करना या जानबूझकर उपेक्षा करना [केंद्रीय या राज्य शिक्षुता सलाहकार या ऐसा अन्य व्यक्ति, सहायक शिक्षुता सलाहकार के पद से कम नहीं, जैसा कि केंद्रीय या राज्य शिक्षुता सलाहकार द्वारा इस संबंध में लिखित रूप से अधिकृत किया जा सकता है] इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत प्राधिकृत किसी भी प्रविष्टि, निरीक्षण, परीक्षा, या पूछताछ के लिए कोई उचित सुविधा, या

vi. अप्रेंटिसशिप सलाहकार की स्वीकृति के बिना ओवरटाइम काम करने के लिए एक प्रशिक्षु की आवश्यकता होती है, या

vii. किसी भी ऐसे काम पर एक प्रशिक्षु नियुक्त करता है जो उसके प्रशिक्षण से जुड़ा नहीं है, या

viii. ठेका के आधार पर एक प्रशिक्षु को भुगतान करता है, या

ix. किसी भी आउटपुट बोनस या प्रोत्साहन योजना में भाग लेने के लिए एक प्रशिक्षु की आवश्यकता होती है,

x. एक प्रशिक्षु के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो इस तरह लगे रहने के लिए योग्य नहीं है, या

xi. शिक्षुता के अनुबंध के नियमों और शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है, वह हर घटना के लिए एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा।

डी) <u>धारा 30 उप-धारा (2-ए)</u>

इस खंड के प्रावधान किसी भी प्रतिष्ठान या उद्योग पर लागू नहीं होंगे जो बीमार औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) के तहत स्थापित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अधीन है।

इ) <u>धारा 31 [जुर्माना जहां कोई विशिष्ट जुर्माना प्रदान नहीं किया गया है]</u>

यदि कोई नियोक्ता या कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है जिसके लिए धारा 30 में कोई दंड प्रदान नहीं किया गया है, वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा लेकिन तीन हजार रुपये तक हो सकता है।

एफ) <u>धारा 32 [कंपनियों द्वारा अपराध]</u>

उपखण्ड (1) - यदि इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय प्रभारी था, और के लिए जिम्मेदार था, कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए कंपनी, साथ ही कंपनी, अपराध का दोषी माना जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी इस तरह के दंड के लिए किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम में प्रदान नहीं करेगा यदि वह साबित करता है कि अपराध उसके ज्ञान के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के आयोग को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था।

उप-धारा (2) - उपधारा (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के तहत एक कंपनी द्वारा अपराध किया गया है और यह साबित हो गया है कि अपराध की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या की ओर से किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार है, कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रबंधक, सचिव, या अन्य अधिकारी, ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

22. <u>प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रशिक्षुओं को नियमित रोजगार</u>:

क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षुता सलाहकार या उनके नामिती पूर्वी क्षेत्र में सर्वेक्षण और अधिसूचना के लिए उद्योगों का पता लगाएंगे और अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी कंपनियों के लिए अखिल भारतीय संचालन की आकांक्षा रखेंगे। प्रतिष्ठान निर्धारित प्रारूप (फॉर्म F2) में विस्तृत जानकारी ऑनलाइन/ऑफलाइन अग्रेषित करेंगे। सर्वेक्षण के बाद बोर्ड उद्योग को एक सूचना (ऑनलाइन/ऑफलाइन) द्वारा सूचित करेगा जिसमें प्रशिक्षुओं की धारा 8(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्तमान/बाद के वर्षों में प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिए बनाई जाने वाली प्रशिक्षण सीटों की संख्या शामिल होगी। (संशोधन) अधिनियम, 2014। नोटिस में अधिनियम की धारा 11 (ए) के तहत नियोक्ता द्वारा हर साल नियोजित किए जाने वाले स्नातक और डिप्लोमा धारक इंजीनियरों की कुल संख्या शामिल होगी।

23. <u>शिक्षु अधिनियम के कार्यान्वयन में आईसीटी का उपयोग</u>

कौशल और ज्ञान किसी भी देश के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के प्रेरक बल हैं। कौशल के उच्च और बेहतर स्तर वाले देश कार्य की दुनिया की चुनौतियों और अवसरों को अधिक प्रभावी ढंग से समायोजित करते हैं। संभावित रूप से, कौशल विकास के लिए लक्ष्य समूह में श्रम बाजार में शामिल हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जो पहली बार श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं (सालाना 12.8 मिलियन), संगठित क्षेत्र में कार्यरत (26.0 मिलियन), और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले (433.0 मिलियन) [2004-05]। कौशल विकास कार्यक्रम की वर्तमान क्षमता 3.1 मिलियन है जिसके विरुद्ध भारत ने 2022 तक 500 मिलियन लोगों को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा है। चूंकि 15 से 59 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग का अनुपात लगातार बढ़ रहा है, इसलिए भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ है। उचित कौशल विकास प्रयासों के माध्यम से जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने से देश के भीतर समावेशन और उत्पादकता हासिल करने और वैश्विक कौशल की कमी में कमी लाने का अवसर मिलेगा। बड़े पैमाने पर विकास इस प्रकार एक आसन्न अनिवार्यता है।

देश की विशाल आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौशल विकास पहल की कई बड़ी चुनौतियां हैं। सरकार की राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना। भारत इस तरह के लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीकों में से एक है, इंजीनियरिंग, गैर-इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में नए योग्य स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को नौकरी पर प्रशिक्षण शामिल है। सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय। कौशल विकास के विस्तार के लिए भारत के हैं:

1. सीमित अवधि में बड़े पैमाने पर प्रणाली की क्षमता बढ़ाने के लिए अभिनव दृष्टिकोणों का अनुकूलन।
2. निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए तंत्र का विकास।
3. सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार, विशेषकर ग्रामीण, सीमावर्ती और पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों में।

4. मोबाइल प्रशिक्षण, दूरस्थ शिक्षा, ई-लर्निंग आदि का उपयोग करके नवीन वितरण मॉडल का विकास।
5. गांवों और ब्लॉक स्तर पर कौशल विकास को बढ़ावा देना, पंचायत, नगर पालिकाओं और सहकारी समितियों और गैर सरकारी संगठनों सहित अन्य स्थानीय निकायों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
6. मौजूदा 23,800 प्रतिष्ठानों (2.58 लाख प्रशिक्षुओं के लिए) से स्थापना द्वारा विस्तार कवरेज 1 लाख (1 मिलियन प्रशिक्षुओं के लिए)

अब, हम 2022 तक 500 मिलियन कुशल जनशक्ति के विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कौशल विकास की क्षमता निर्माण में नियोक्ताओं/प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका को समझ सकते हैं।

शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार कोलकाता, मुंबई, कानपुर और चेन्नई में स्थित व्यावहारिक/शिक्षुता प्रशिक्षण के चार क्षेत्रीय बोर्डों के माध्यम से प्रशिक्षु अधिनियम को लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य इंजीनियरिंग या गैर- स्नातकों के लिए ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण के माध्यम से देश में कुशल जनशक्ति का एक पूल बनाना है। इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान द्वारा दी गई समकक्ष योग्यता और किसी भी नामित या वैकल्पिक विषय क्षेत्र में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा धारक। सभी चार बोर्ड क्षेत्रीय आधार पर शिक्षुता प्रशिक्षण योजना लागू कर रहे हैं।

राष्ट्रीय वेब पोर्टल-साइट चार बोर्ड दृष्टिकोणों के आधार पर विकसित की गई है:

1. क्षेत्रीय बोर्डों के मौजूदा चार पोर्टलों का एकीकरण
2. छात्रों, उद्योगों, संस्थानों और अन्य हितधारकों के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टल-साइट
3. मांग और आपूर्ति की ऑटो स्किल मैपिंग
4. क्षेत्रों के लंबवत और क्षैतिज विकास के लिए क्षमता निर्माण प्रदान करें।

लक्ष्य तक पहुँचने के लिए इस तरह की पहल के घटकों में से एक सरकार की संरचित राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के माध्यम से योगदान है। भारत के अपरेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत समय-समय पर संशोधित।

टिप्पणी: इस शीर्षक के तहत प्रदान की गई जानकारी हितधारकों की आसान समझ के लिए है; यह सुनिश्चित करने के लिए सभी देखभाल की जाती है कि यहां की सामग्री समय-समय पर संशोधित शिक्षु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है, हालाँकि, किसी भी विवाद के मामले में उक्त अधिनियम के प्रावधान इस सामग्री पर प्रबल होंगे।